

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 258 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022 / 383

दायर दिनांक :- 02.09.2022

निर्णय दिनांक :- 13.11.2024

प्रार्थी
लूणाराम पुत्र नथाराम
जाति मेगवाल निवासी खेंगासर
तहसील घंटियाली जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

01. राज्य सरकार जरिये
श्रीमान तहसलदार, बाप
02. कायमदीन पुत्र आदमखां
03. महयुदीन पुत्र आदमखां
04. समसदीन पुत्र आदम खां
05. नबीबगस पुत्र करमालीखां
जाति सिपाही नि. खेंगासर
06. धूडाराम पुत्र नथाराम
जाति मेगवाल नि. खेंगासर
07. अणची पत्नि भोमाराम
08. आसूराम पुत्र भोमाराम
09. कोजाराम पुत्र भोमाराम
10. टोपणिया पुत्र मोडा
11. प्रभूराम पुत्र भोमाराम
12. मूलाराम पुत्र भोमाराम
13. मोहनराम पुत्र भोमाराम
14. श्रवणराम पुत्र भोमाराम
जाति नायक नि0 घंटियाली
15. अजीजखां पुत्र फते खां
16. आरबखां पुत्र फते खां
17. इलमदीन पुत्र फते खां
18. खेरदीन पुत्र फते खां
19. मेहरदीन पुत्र फतेखां
20. लुकमदीन पुत्र फतेखां
21. रजामोहम्मद पुत्र करमालीखां
22. नबीखां पुत्र करमालीखां
23. निजामदीन पुत्र करीमखां
24. फजरुखां पुत्र करीमखां
25. रजेखां पुत्र करमालीखां
जाति मुसलमान नि. खेंगासर
26. अनी पुत्री नरुराम
27. कमला पत्नि देराजराम
28. करनाराम पुत्र नरुराम
29. गंगाराम पुत्र नरुराम
30. घेवरराम पुत्र नरुराम
31. तुलछाराम पुत्र नरुराम



सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

32. देवाराम पुत्र खीयाराम
33. भंवरी पुत्री ईशरराम
34. मेगाराम पुत्र नरुराम
35. मादू पुत्री खीयाराम
36. मोमराज पुत्र देराजराम
37. मोहनी पुत्री नरुराम
38. सरला पुत्री नरुराम
जाति मेघवाल नि. खेंगासर
तह. बाप जिला जोधपुर
39. किशनाराम पुत्र धनाराम
जाति मेघवाल नि. पाबूसर
तह. खीवसर जिला नागौर
40. काशी पत्नि भगवानाराम
41. गुडडी पत्नि उमेदाराम
42. धुडी पत्नि खीयाराम
43. पानी पत्नि बिशनाराम
44. भंवरी पत्नि सुखदेव
45. उम्मेदाराम पुत्र किसनाराम
46. खियाराम पुत्र किसनाराम
47. छेना पुत्री किसनाराम ना.
बालिग जरिये कुदरती वलीया
माता कुसुम्बी पत्नि किसनाराम
48. भगवानाराम पुत्र किसनाराम
49. भूराराम पुत्र किसनाराम
50. रूखमा पुत्री किसनाराम ना.
बालिग जरिये कुदरती वलीया
माता कुसुम्बी पत्नि किसनाराम
51. विसनाराम पुत्र किसनाराम
52. सुखदेव पुत्री किसनाराम
जाति मेघवाल नि. खेंगासर
53. पंखो उर्फ पंखी देवी पत्नि
टीकूराम जाति मेगवाल
निवासी चिमाणा
त. घंटियाली जिला जोधपुर


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

- उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सॉलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
 3. श्री सिकन्दर खां मंगलिया अधिवक्ता अप्रार्थी
संख्या 16 की और से

13-11-11
सहायक कलेक्टर
(जोधपुर)

--- निर्णय ---

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम खेंगासर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली जिला जोधपुर के मूल खसरा नम्बर 912/3 कुल रकबा 299-00 बीघा भूमि स्थित है जिसे प्रार्थना पत्र में आगे **वादग्रस्त भूमि** सम्बोधित किया जायेगा। जमाबन्दी संवत 2076-2079 व नक्शा ट्रेस संलग्न पेश है। मूल खसरा नम्बर 912/3 कुल रकबा 299-00 बीघा भूमि के मूल खातेदारों ने आपसी सहमति का बंटवाड़ा श्रीमान नायब तहसीलदार, फलोदी के समक्ष उपस्थित होकर होकर लिया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 73 मौजा खेंगासर भरा जाकर स्वीकृत हुआ। मूल खसरा नम्बर 912 के अन्य भी कई खातेदार हैं जिनके बट्टा नम्बर भी जमाबन्दी में अलग-अलग दर्ज हैं जो वर्तमान में प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 912/10 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के नाम खसरा नम्बर 912 रकबा 17.6443 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 2 ता 5 के नाम खसरा नम्बर 912/2 रकबा 22.6624 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 6 के नाम खसरा नम्बर 912/3 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 7 ता 14 के नाम खसरा नम्बर 912/4 रकबा 22.0149 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 15 ता 20 के नाम खसरा नम्बर 912/5 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 21 के नाम खसरा नम्बर 912/6 रकबा 16.3493 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 22 ता 25 के नाम खसरा नम्बर 912/7 रकबा 20.9384 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 26 ता 38 के नाम खसरा नम्बर 912/8 रकबा 10.4652 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 39 के नाम खसरा नम्बर 912/9 रकबा 3.4803 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 912/12 रकबा 1.8616 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 40 ता 44 के नाम खसरा नम्बर 912/11 रकबा 3.4803 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 45 ता 52 के नाम खसरा नम्बर 912/13 रकबा 6.7178 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी सं. 53 के नाम खसरा नम्बर 912/14 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/15 रकबा 3.2375 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 912/16 रकबा 3.2375 हैक्टेयर अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आपसी के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण सं. 73 मौजा खेंगासर की पुस्त पर नजरी नक्शा नहीं दर्शाया हुआ है इसी कारण उक्त वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी में अलग-अलग दर्ज करदी गई थी लेकिन राजस्व रेकॉर्ड नक्शा ट्रेस में सामलाती ही दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त भूमि के मौके पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 2 ता 53 का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी का टांका तथा पशुओं के लिये बाड़ा इत्यादि बना रखे हैं जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करता आ रहा है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 53 का उक्त वादग्रस्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपना-अपना कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में नक्शा लट्टा में आपसी सहमति के बंटवाड़ा अनुसार तरमीम नहीं होने से वर्तमान पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 2 ता 53 को सूचित किये बगैर ही सेग्रीगेशन योजना के तहत



13.11.24

13.11.24

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 53 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 912/10 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912 रकबा 17.6443 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/2 रकबा 22.6624 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/3 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/4 रकबा 22.0149 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/5 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/6 रकबा 16.3493 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/7 रकबा 20.9384 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/8 रकबा 10.4652 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/9 रकबा 3.4803 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/12 रकबा 1.8616 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/11 रकबा 3.4803 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/13 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/14 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/15 रकबा 3.2375 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 912/16 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि की नक्शा ट्रेस में तरमीम अपनी मनमर्जी से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 53 के कब्जा काश्त के विपरीत जाकर करदी। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 53 का मौके पर कब्जा काश्त व संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा उक्त तरमीम बिना किसी विधिक आदेश के एवं खातेदारों के कब्जा व काश्त के विपरीत कर दी है। इसलिये ग्राम खेगासर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 912/10 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912 रकबा 17.6443 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/2 रकबा 22.6624 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/3 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/4 रकबा 22.0149 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/5 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/6 रकबा 16.3493 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/7 रकबा 20.9384 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/8 रकबा 10.4652 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/9 रकबा 3.4803 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/12 रकबा 1.8616 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/11 रकबा 3.4803 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/13 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/14 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/15 रकबा 3.2375 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 912/16 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि के नक्शा ट्रेस में खातेदारों के कब्जा काश्त के विपरीत विधि विरुद्ध तरीक से की गई तरमीम को निरस्त करवाने एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार घंटियाली ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 16 की और से श्री सिकन्दर खां मंगलिया ने वकलातनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 15 व 17 ता 53 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 16 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन

13/11/24
सचिव

किया गया। ग्राम खेंगासर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 912/10 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/3 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/4 रकबा 22.0149 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/7 रकबा 20.9384 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/9 रकबा 3.4803 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/12 रकबा 1.8616 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/11 रकबा 3.4803 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/13 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/14 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/15 रकबा 3.2375 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 912/16 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काशत के भिन्न है। भू.अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काशत के विपरित की गई है जिसे कब्जा काशत अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को दुरुस्त किया जाकर भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.04.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खेंगासर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 912/10 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/3 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/4 रकबा 22.0149 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/7 रकबा 20.9384 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/9 रकबा 3.4803 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/12 रकबा 1.8616 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/11 रकबा 3.4803 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/13 रकबा 6.7178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/14 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/15 रकबा 3.2375 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 912/16 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरुस्त की जाकर भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.04.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार घंटियाली को दिये जाते हैं। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



13.11.24
 (सुखाराम पिण्डरीक) S.
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बाप (फलोदी)